

राजस्थान सरकार  
जन अभियोग निराकरण विभाग

क्रमांक प.3(7)आरपीजी / 2019


जयपुर, दिनांक 27-5-2020

आदेश

सहायक निदेशक, पब्लिक सर्विसेज, जैसलमेर के उपयोग हेतु वित्त विभाग के परिपत्र संख्या प.2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 19.07.2018 एवं दिनांक 28.02.2019 में अंकित शर्तों/दिशा-निर्देशों/RTTP Act/Rules/निर्धारित प्रक्रिया की पूर्णपालना सुनिश्चित करने की शर्तों पर 01 जिला स्तरीय किराये का वाहन 28500/- रु प्रतिमाह 2000 कि.मी. की श्रेणी में दिनांक 28.02.2021 तक अथवा पद भरे रहने, जो भी पहले हो सके तक हायर करने की सहमति एतद्वारा प्रदान की जाती है।


यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति आई.डी.क्रमांक 102002094 दिनांक 22.05.2020 के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से

  
(मोहन लाल वर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
3. जिला कलेक्टर, जैसलमेर।
4. निदेशक, लोक सेवाएँ, जयपुर।
5. सहायक निदेशक, लोक सेवाएँ, जैसलमेर मार्फत जिला कलेक्टर, जैसलमेर।
6. रक्षित पत्रावली।

  
27-5-2020  
सहायक शासन सचिव

भारी  
27/5/2020